

अग्निशमन अनापत्ती प्रमाण-पत्र
कार्यालय अग्निशमन विभाग अलवर



क्रमांक : FireNOC/3759

दिनांक 18/02/2023

प्रेषित :

श्री आवेदक का नाम : varun yadav

पता: step by step school ambedkar nagar B-1

विषय : step by step school ambedkar nagar

अलवर में निर्मित होने वाले भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति बाबत |

प्रसंग : आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13/02/2023 सन्दर्भ में |



उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 13/02/2023 को इस विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत / परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ती चाही है. आवेदित स्थल का मौक़ा निरीक्षण करवाया गया आवेदक varun yadav द्वारा step by step school ambedkar nagar में

उक्त भूखंड में बहुमंजिला इमारत / परिसर का निर्माण संलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टी से निम्न शर्तों की पालना करने को बाध्य करते हुये अग्निशमन की अस्थायी अभिशंषा जारी की जाती है |

1. भवन का निर्माण अलवर विकास प्राधिकरण / नगरपरिषद अलवर / रिको / रा० हा० बोर्ड द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नॅशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवं नॅशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कराना अनिवार्य होगी।
3. निर्माण किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नॅशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार फायर हाइड्रंट मय हीज व नोजल, होजरील होज, फायर एक्सटिंग्विशर, एम् सी पी हूटर, पी ए सिस्टम, फायर डिटेक्शन मय फायर पेनल, फायर स्प्रिंकलर, एमरजेंसी लाईट, अंडर ग्राउंड व ओवर हैड फायर वाटर का टैंक मय पम्प / पम्प यूनिट आदी लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को - मंजिल (बेसमेंट, स्टील फ्लोर, प्रथम फ्लोर से - वीं मंजिल) या भूगर्भीय तक - मीटर ऊँचाई की आवासीय, भवन की अस्थायी फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शायी गई मान्य होगी।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हर्ड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारो तरफ घूमने व कार्य करने के लिए नॅशनल बिल्डिंग कोड एवं जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010/ U.I.T उदयपुर विनियम के अनुरूप न्यूनतम २० फूट खाली स्थान (गलियारा) रखना होगा एवं उक्त रखे गए खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्तजन व वाल्कनी का निर्माण निषेध होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरंत अग्निशमन केंद्र पहुंचे इसके लिए स्वचालित आग चैतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
7. अस्थायी अग्निशमन अभिशंषा के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमी संबंधी कोड प्रकरण विचाराधीन / विवादित है तो इसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नॅशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाए जावे व व्यवस्था की जावे उनका परिक्षण व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवा कर स्थाई अनापत्ती प्रमाणपत्र लेने के बाद ही भवन को उपयोग में लिया जा सकेगा उक्त की पालना नहीं करने पर भूखंड मालिक / आवेदक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. भवन में धुआँ निकासी के लिए नॅशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी व एन बी सी के अनुरूप रिफ्यूजी एरिया छोड़ना होगा।